# अध्याय XII : सामान्य

## 12.1 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई

**लोक लेखा समिति के बार-बार अनुदेशों/सिफारिशों के बावजूद विभिन्न मंत्रालयों/विभागों ने लोक लेखा समिति द्वारा निर्धारित समय सीमा के बीत जाने के पश्चात भी 59 लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर उपचारी/शोधक कार्रवाई प्रस्तुत नहीं की थी।**

लोक सभा सचिवालय ने अप्रैल 1982 में सभी मंत्रालयों को यह अनुदेश जारी किए कि वे वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के पास, लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के सदन के पटल पर प्रस्तुत किए जाते ही उसमें समाविष्ट विविध परिच्छेदों पर की गई उपचारी/संशोधक कार्रवाई को दिखाते हुए टिप्पणी प्रस्तुत करें।

22 अप्रैल 1997 को संसद में प्रस्तुत अपने नौवें प्रतिवेदन (ग्यारहवीं लोक सभा) में, लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) ने इच्छा व्यक्त की थी कि मार्च 1994 तथा 1995 की वर्ष-समाप्ति की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से सबंधित लम्बित कार्रवाई टिप्पणियों (का.टि.) के प्रस्तुतीकरण को तीन माह की अवधि के भीतर पूर्ण किया जाना चाहिए तथा मार्च 1996 को समाप्त वर्ष से आगे लेखापरीक्षा प्रस्तुतीकरण की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के परिच्छेदों से संबंधित सभी का.टि.,का, लेखापरीक्षा द्वारा विधिवत पुनरीक्षण कराकर, संसद में प्रतिवेदनों के पेश होने के चार माह के अन्दर प्रस्तुतीकरण की अनुशंसा की थी।

इसके अतिरिक्त, समिति ने 29 अप्रैल 2010 को संसद को प्रस्तुत अपनी ग्यारहवीं रिपोर्ट (पंद्रहवीं लोक सभा) में अनुशसा की है कि उपचारी कार्रवाई करने तथा लो.ले.स. को का.टि. प्रस्तुत करने में असामान्य विलम्ब के सभी मामलों में मुख्य लेखांकन प्राधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए।

31 मार्च 2011 को समाप्त हुई अवधि तक संघ सरकार सिविल को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल अनुच्छेदों पर का.टि. की प्राप्ति की स्थिति की समीक्षा **(परिशिष्ट-I)** में यह प्रकट हुआ कि मंत्रालयों ने उपर्युक्त निर्देशों के बावजूद अधिकांश परिच्छेदों के संबंध में उपचारी/शोधक का.टि. प्रस्तुत नहीं की थी। उन 271 परिच्छेदों जिन पर

का.टि. भेजी जानी अपेक्षित थी, में से 59 परिच्छेदों से संबंधित का.टि. मार्च 2012 तक भी प्राप्त नहीं हुई थी जैसा कि निम्न चार्ट में दर्शाया गया हैः

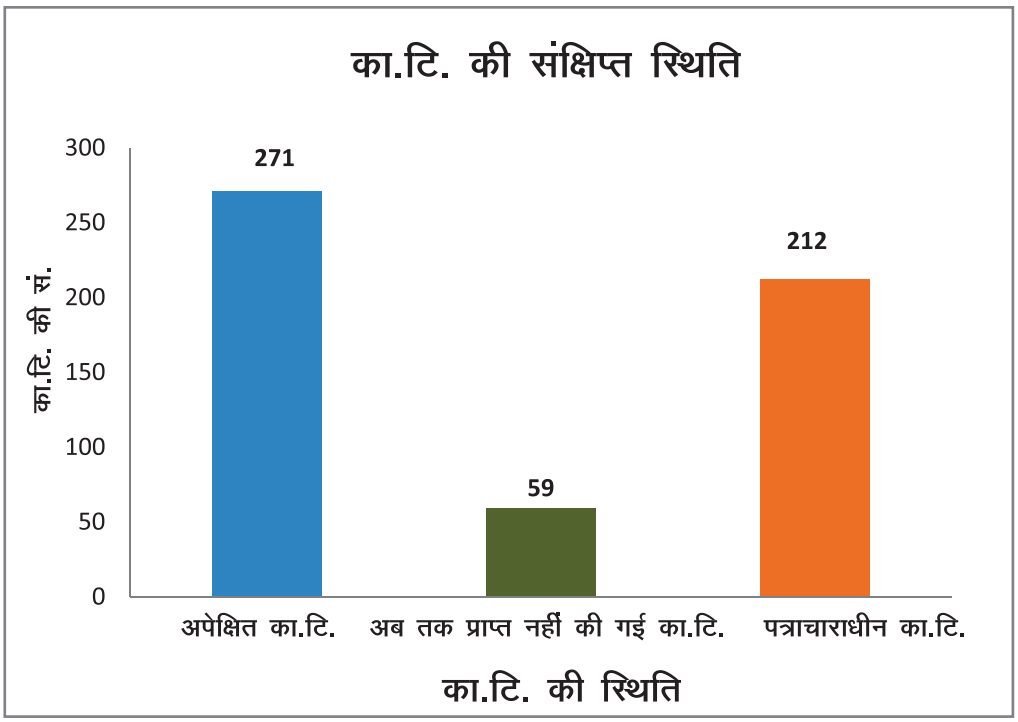


212 परिच्छेदों के संबंध में अंतिम कार्रवाई टिप्पणी, जो कि पत्राचारधीन थी, विभिन्न स्तरों पर लम्बित थीं। इन 212 परिच्छेदों में से 56 परिच्छेद 10 वर्ष से अधिक पुराने लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित थे।

## 12.2 ड्राफ्ट पैराग्राफो के संबंध में मंत्रालयों/विभागों की प्रतिक्रिया

**लोक लेखा समिति के दृष्टांत पर वित्त मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के बावजूद मंत्रालयों/विभागों के सचिवों ने इस प्रतिवेदन में सम्मिलित 25 ड्राफ्ट पैराग्राफों में से आठ के संबंध में उत्तर नहीं भेजा था।**

लो.ले.स. की अनुशंसा पर, जून 1960 में वित्त मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों को भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिए प्रस्तावित ड्राफ्ट पैराग्राफों के संबंध में छः सप्ताह के भीतर अपने उत्तर भेजने के निर्देश जारी किए थे।

मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के इस प्रतिवेदन में सम्मिलित 25 पैराग्राफों में से आठ में मंत्रालयों/विभागों के सचिवों से उत्तर प्राप्त नहीं किए गए थे। विवरणों को **परिशिष्ट-II** में दर्शाया गया है।

(रॉय मथरानी)
महानिदेशक लेखापरीक्षा
केन्द्रीय व्यय

**नई दिल्ली**
**दिनांकः 21 अगस्त 2012**

**प्रतिहस्ताक्षरित**

(विनोद राय)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

**नई दिल्ली**
**दिनांकः 21 अगस्त 2012**